बिहार सरकार

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना।

(विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग)

चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015

Website: www.sbte.bihar.gov.in ; Email: sbtebihar@bihar.gov.in

State Board of Technical Education Bihar

ISO 9001:2015 Certified

पत्रांक :– जे०के०(एस०बी०टी०ई०)22/26– 3047 /पटना, दिनांक :– 31.08.26

प्रेषक,

डॉ० कमलेश कुमार सिंह,
सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
चतुर्थ तल, टेक्नोलॉजी भवन, पटना–800015.

सेवा मे,

प्राचार्य,
1) सभी राजकीय पोलिटेकनिक,
2) सभी राजकीय महिला पोलिटेकनिक,
3) सभी निजी पोलिटेकनिक संस्थान।

विषय :– वर्ष 2026 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर सत्र् 2026 एवं तृतीय सेमेस्टर Lateral Entry (L.E.) के सत्र् 2025 के छात्र/छात्राओं के निबंधन के संबंध में।

प्रसंग :– पर्षद का पत्रांक–2954, दिनांक–25/08.2026

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में सूचित करना है कि वर्ष 2026 में नामांकित प्रथम सेमेस्टर सत्र् 2026 एवं तृतीय सेमेस्टर Lateral Entry (L.E.) के सत्र् 2025 के छात्र/छात्राओं के निबंधन आवेदन पत्र पर्षद के Website पर उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में निम्न नये निर्धारित तिथि से पूर्व **On-line** भराया जाना है। निर्धारित शुल्क के रूप में प्रति छात्र **800/– (आठ सौ रूपये मात्र)** की दर से पर्षद में **On-line** भुगतान किया जाना है।

निबंधन		पूर्व से निर्धारित तिथि	नये विस्तारित तिथि
Online Registration of students	–	**25.08.2026 to 31.08.2026**	**01.09.2026 to 22.09.2026**
Online Registration of students with late fine @ Rs.100/- per day.	–	**From 01.09.2026**	**From 23.09.2026**

पर्षद द्वारा निबंधित छात्र/छात्राएँ ही सामयिक या पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन **(Online)** निबंधन आवेदन पत्र की एक प्रति प्राप्त कर उस पर संबंधित छात्र के नामांकन आदेश पर चिपके छाया चित्र के निगेटिव का ही छाया चित्र चिपकाकर तथा प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर संस्थान में संधारित कर लिया जाए। अभिप्रमाणित करने के क्रम में प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आधा छाया चित्र तथा आधा आवेदन पत्र पर होना चाहिए। निबंधन आवेदन पत्र के साथ सिर्फ नामांकन आदेश, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं **L.E.** के अन्तर्गत नामांकित आवेदक हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र/+2 प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर **Scan Soft Copy** पर्षद के **Portal** पर **Upload** करेंगे। वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रों का पर्षद में निबंधन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का गलत कागजात देने पर संबंधित छात्र/छात्राओं का निबंधन रद्द कर दिया

जाएगा। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना द्वारा उन्हीं छात्र/छात्राओं का निबंधन किया जाएगा, जिनका नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद या बिहार निजी तकनीकी एवं व्यवसायिक संस्थान संघ (बी०पी०टी०पी०आई०ए०), माँ गायत्री रेसिडेन्सी, दूसरा तल्ला, महुआ बाग द्वारा निर्गत नामांकन प्राधिकार के आदेश के आधार पर हुआ है। निबंधन आवेदन पत्र को **Portal** पर सत्यापित करने के पूर्व निम्नांकित तथ्यों की जाँच प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी स्वयं अपने स्तर से करेंगे :–

(1) निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित छात्र/छात्रा का नाम, माता–पिता का नाम एवं जन्म तिथि, नामांकन प्राधिकार के आदेश एवं मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र के अनुरूप है। निबंधन आवेदन पत्र पर अंकित शाखा का नाम अपने संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप), नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारित शाखा के अनुरूप है।

(2) निबंधन आवेदन पत्र पर चिपकाये गये छाया चित्र का मिलान संबंधित छात्र/छात्रा एवं नामांकन अभिलेख पर चिपके छाया चित्र से किया जाए एवं आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर की जाँच के बाद ही छाया चित्र अभिप्रमाणित किया जाए।

(3) नामांकन आदेश, स्वहस्ताक्षरित फोटो **(एक प्रति)**, मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र एवं **L.E.** के अन्तर्गत नामांकित आवेदक हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र /+2 प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदन पत्र के साथ **Upload** करना होगा।

विश्वासभाजन,

31/08/26

सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,
बिहार, पटना।

31/08/26